न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला – सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टस
1. महेन्द्रभाई 2. अर्जुनभाई 3. मुकेशभाई 4. संजयभाई पिसरान मफाजी 5. अलकाबेन 6. वीणादेवी पुत्रीयान मफाजी 7. समदा पत्नि मफाजी जातियान भील निवासीयान रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. अर्जुनलाल 2. जयन्तिलाल 3. तेजाराम 4. मोहनलाल पिसरान मफाजी 5. चम्पा 6. सरमी पुत्रीयान मफा 7. राजुराम पुत्र वरजु 8. कमू पुत्री वरजु 9. तगी पत्नि मफा जातियान भील साकिनान रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 10. ग्राप पंचायत रानीवाड़ा खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द, तहसील रानीवाड़ा

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 2595 दिनांक 28.07.2021 ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 10 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 04.01.2024

1. अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 2595 स्वीकृत दिनांक 28.07.2021 ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा में अपीलाण्टस के पिता देवा की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 767 रकबा 0.20 हे. खसरा नंबर 768 रकबा 0.72 हे., खसरा नंबर 774 रकबा 0.04 हे., खसरा नंबर 775 रकबा 0.02 हे., खसरा नंबर 382 रकबा 0.55 हे., खसरा नंबर 381 रकबा 0.03 हे., खसरा नंबर 776 रकबा 0.23 हे., खसरा नंबर 271 रकबा 0.90 हे., खसरा नंबर 272 रकबा 0.06 हे., खसरा नंबर 273 रकबा 1.20 हे. आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्ट के पिता/पति के नाम सामलाती रूप से जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में दर्ज है। उक्त आराजी की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 की प्रति संलग्न अपील पेश है। चूंकि म्युटेशन संख्या 2595 को ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा स्वीकृत कर अपीलाण्टस की आराजी भी रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के नाम गलत दर्ज कर दी। इसलिए यह म्युटेशन अपील अपीलाण्टस की ओर से रेस्पोडेण्टस के विरूद्ध पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:46 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलाण्टस के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा के फौत होने पर अपीलाण्टस ने उक्त मफा की फौतेदगी बाबत म्युटेशन स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो अपीलाण्टस को जानकारी हुई कि अपीलाण्टस के पिता/पति मफा पुत्र देवा की खातेदारी आराजी बाबत भी म्युटेशन उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा के फौत होने पर उक्त मफा पुत्र देवा के वारीस रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 के नाम स्वीकृत भूलवंश कर दिया, जिस पर अपीलाण्टस ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की फौतेदगी पर स्वीकृत उक्त म्युटेशन संख्या 2595 की नकल प्राप्त की तो अपीलाण्टस को उक्त रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की फौतेदगी पर स्वीकृत उक्त म्युटेशन की जानकारी हुई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की फौतेदगी पर म्युटेशन संख्या 2595 के जरिये अपीलाण्टस की उक्त आराजी भी रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। इसलिए अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा कौम भील साकिन रानीवाड़ा खुर्द की फौतेदगी पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2595 से आहत होकर अपीलाण्टस की ओर से यह म्युटेशन अपील निम्न आधारों पर पेश की जा रही है।

रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की फौतेदगी पर अपीलाण्टस की आराजी खसर नंबर 767, 768, 774, 775, 776, 381, 382, 271, 272, 273 की आराजी भी अपीलाण्टस की पीठ पिछे उक्त म्युटेशन के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 के नाम भूलवंश या गलती से दर्ज कर दी। इसलिए उक्त म्युटेशन काबिल खारीज है।

ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 2595 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा न ही उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने पूर्व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की खातेदारी आराजी बाबत कोई जांच की। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन संख्या 2595 की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से काबिल खारीज है।

अपीलाण्टस के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की आराजी को भी रेस्पोडेण्टस के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा के फौत होने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज की गई। इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 2595 की कार्यवाही प्रारंभ से सही अपीलाण्टस के अधिकारों की सीमा तक शुन्य व अवैध हैं। इसलिए उक्त म्युटेशन काबिल खारीज है।

3. अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द के आदेश दिनांक 28.07.2021 जिसके जरिये म्युटेशन संख्या 2595 स्वीकृत किया गया हैं, को अपास्त कर अपीलाण्टस के पूर्वाधिकारी मफाराम पुत्र देवाजी कौम भील साकिन रानीवाड़ा खुर्द के दिनांक 23.03.2022 को फौत होने से तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा के भी फौत होने से अपीलाण्टस के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की खातेदारी आराजीयान की पूर्णतया जांच कर अपीलाण्टस के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी मफा पुत्र देवा की फौतेदगी बाबत म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

4. अपीलाण्ट की अपील म्याद के बिन्दु पर रेस्पोडेण्टस के उजर ऐतराज के अधिकार को सूरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:46 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 9 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. सर्वप्रथम दिनांक 16.02.2023 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया गया है।

6. अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस संख्या 10 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया गया व रेस्पोडेण्टस संख्या 10 की ओर अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए म्यूटेशन संख्या 2595 दिनांक 28.07.2021 को खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

7. हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस संख्या 10 के विद्वान अधिवक्ता के बहस तथ्यों का मनन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा पेश म्युटेशन संख्या 2595 की प्रमाणित प्रतिलिपि व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 2595 में मफा पुत्र देवा जाति भील फौत होने पर उनके उतराधिकारियों वारीसान अपीलाण्टस के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 9 के नाम खोला गया। जो ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा दिनांक 28.07.2021 को स्वीकृत किया गया। जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व व अवैधानिक कार्यवाही है। प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के तहत अपीलाण्ट को नामान्तरकरण भरते समय सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के नियमों के तहत भी अवैधानिक की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा म्यूटेशन संख्या 2595 पारित आदेश दिनांक 28.07.2021 को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार योग्य है।

–ः आदेश ः–

8. अतः उपयुक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 2595 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 2595 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप मफाराम पुत्र देवा जाति भील के विधिक वारीसान की जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुए नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा